

# फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- नसीराबाद

देवा बनाम गोपी सिंह

किस्म मुकदमा :-

88/188

राज० काश्त० अधि० 1955

प्रकरण संख्या 09 सन - 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.24	<p>अधिवक्ता वादी न उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्तो इन्तजारी तलबी दिनांक 12.11.24 को पेश हो।</p> <p>12/11/24</p> <p>पीठासीन अधिकारी दौर/अबकाश व्यस्त रहने के कारण पालना में दिनांक 14/11/25</p> <p>आदेशानुसार</p> <p>मेहर</p>	
18/3/28	<p>14/11/25</p> <p>पीठासीन अधिकारी दौर/अबकाश व्यस्त रहने के कारण पालना में दिनांक 18/3/25</p> <p>आदेशानुसार</p> <p>मेहर</p> <p>पत्रावली के अन्तर्गत वकील वादी उपस्थित नहीं किया गया। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्तो इन्तजारी तलबी दिनांक 12.11.24 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद (अजमेरा)

